120

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेष, ग्वालियर

समक्ष– एम0 के0 सिंह,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 513–एक/16 विरूद्ध आदेश, दिनाक 25–1–2016 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना के प्रकरण कमांक 36/15–16/अ0मा0

1 सीताराम
2 रामभरोषी
3 राधे
4 दामोदर
5 पूरन
6 रामप्रकाश
पुत्रगण भगवानसिंह जाति काछी
निवासी हार का पुरा मुरैना गांव
तहसील व जिला मुरैना म0 प्र0 .....आवेदकगण

विरूद्ध

1 मनीराम
2 सोवरन
3 रामचरन
पुत्रगण प्यारेलाल
4 प्रदीप पुत्र बनवारी
समस्त जाति काछी निवासी मुरैना
गांव तहसील व जिला मुरैना

–अनावेदकगण

श्री श्रीकृष्ण शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0 के0 अवस्थी अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 19-12-16 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 36/15–16/अ0मा. में पारित आदेश दिनांक 25–1–16 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार तहसील व जिला मुरैना के न्यायालय में मुरैनागांव स्थित भूमि सर्वे कमांक 2453 रकबा 0.440 पर मुताबिक वसीयतनामा दिनांक 15–10–1997 भूमिस्वामी (वसीयतकर्ता) कलुआ पुत्र स्वर्गीय रामगोपाल वसीयत ग्रहितागण के हित में नामांतरण किये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 29/14–15/अ–6/मुरैना गावं दर्ज कर आदेश दिनांक 21–1–16 द्वारा आवेदकगण के हित में नामांतरण स्वीकृत किया गया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 25–1–16 को अनावेदकगण के पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को स्थगित किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने गये ।

4/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट है कि विद्वान अनुविभागीय अधिकारी ने आलोच्य आदेश द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत कैवियट आवेदन को निरस्त करते हुए अन्य आदेश तक स्थगन आदेश जारी किया गया है जबकि संहिता की धारा 52 के प्रावधानों के तहत तीन माह से अधिक का स्थगन आदेश जारी नहीं किया जा सकता है । अतः जहां तक स्थगन आदेश का प्रश्न है उस सीमा तक अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाता है तथा उन्हें यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे स्थगन के बिंदु पर दोनों पक्षों को सुनकर पुनः निर्णय लें । उक्त निर्देश के साथ यह प्रकरण निराकृत किया जाता है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर